



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]  
No. 54]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 1994/माघ 15, 1915  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 1994/MAGHA 15, 1915

जन-सुलभ परिमूल्य (मंत्रालय)  
(पत्राचार विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1994

या.का.वि. 08(अ) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन ग्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पत्राचार विभागीय मण्डल द्वारा बनाये गये और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहर लाल नेहरू पत्राचार ग्यास कर्मचारी (पाइलटों को लाइसेंस देना एवं नियंत्रण करना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

अनुसूची

महापत्तन ग्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 24 की उपधारा (1) साथ पठित धारा 28 के द्वारा किये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए जवाहर लाल नेहरू पत्राचार ग्यास के ग्यासी मण्डल ने जवाहरलाल नेहरू

पत्राचार ग्यास (पाइलटों को लाइसेंस देना एवं नियंत्रण करना) विनियमों की 1994 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाये हैं :—

- (1) संश्लेष नाम और धारणा (क) :—इस विनियमों का नाम जवाहरलाल नेहरू पत्राचार ग्यास (पाइलटों को लाइसेंस देना एवं नियंत्रण करना) प्रथम संशोधन विनियमों की 1994 है।
- (ख) यह विनियमों की भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से लागू होगी।
- (2) शीर्षक "पाइलटों का वर्गीकरण" के अन्तर्गत विनियम 8 के उप-विनियम (1) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित होगा :—

"(1) पाइलटों का वर्गीकरण

कोई भी चालक (पाइलट) जिसको लाइसेंस प्रदान किया गया हो उसकी जलपोत चलाने के लिये निम्नलिखित तरीके से अनुमति दी जायेगी।

- (क) प्रथम तीन महीने के दौरान संपूर्ण रजिस्टर आठहजार टनों से अधिक वजन वाले जलपोत चलाने की अनुमति नहीं होगी।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT  
(Ports Wing)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1994

G.S.R. 66(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust (Licensing and Control of Pilots) (1st Amendment) Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by proviso to Sub-section (i) of Section 24, read with Section 28, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port hereby make the following Regulations to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust (Licensing and Control of Pilots) Regulations, 1990.

(1) Short title and commencement (i) These Regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust (Licensing and Control of Pilots) 1st Amendment Regulations, 1994. (ii) They shall come into force from the date of publication in the Gazette of India.

(2) Sub Regulation (1) of Regulation 8 under caption Classification of Pilots shall be replaced as follows :

"9 Classification of Pilots.

(1) A pilot on being licensed will be permitted to pilot vessels as follows.

- During the first three months Vessels not exceeding 8000 tonnes gross register.
- During the next three months Vessels not exceeding 10,000 tonnes gross register.
- During the next three months, Vessels not exceeding 12,000 tonnes gross register (excluding loaded tankers and men of war but including tankers the ballast to and from stream and the berths).
- During the next six months Vessels not exceeding 15,000 tonnes gross register (excluding loaded tankers and men of war but including tankers in the ballast), draft not exceeding 9.0 mtrs.
- During the next 6 months, Vessels not exceeding 20,000 GRT, draft not exceeding 9.0 mtrs.
- During the next 6 months Vessels not exceeding 20,000 GRT, draft not exceeding 10.0 mtrs.
- During the next 6 months Vessels not exceeding 25,000 GRT, draft not exceeding 10.0 mtrs.
- During the next 6 months, Vessels not exceeding 25,000 GRT, any draft.
- Thereafter full tonnage i.e. all Vessels w<sup>o</sup> restriction.
- Pilots will be authorised to handle Car Carriers irrespective of tonnage only when on full Tonnage.

[No. PR-12016/4/94-1 I]

ASHOKE JOSHI, Jr. Secy.

Footnote.—Principal regulations were published with G.S.R. No. 571(E) dated 13-6-1990.

(क) अगले तीन महीनों के दौरान संपूर्ण रजिस्टर 10,000 टनों से अधिक वजन वाले जलयान चलाने की अनुमति नहीं होगी।

(ग) अगले तीन महीनों के दौरान संपूर्ण रजिस्टर 12,000 टनों से अधिक के जलयान चलाने की अनुमति नहीं होगी। (सामान लदे हुए टैंकरों तथा युद्ध के सिपाहियों को छोड़कर परन्तु धाराओं एवं बगों के आगे पीछे स्थिरक में टैंकरों के साथ)।

(घ) अगले छः महीनों के दौरान 15,000 सकल रजिस्टर टन तक (सामान लदे टैंकरों एवं सैनिकों को छोड़कर तथा बेलास्ट के टैंकरों के सहित) तथा 9 मीटर जलयानों के प्रवात तक को चलाने की अनुमति होगी।

(च) अगले छः महीनों के दौरान 20,000 सकल रजिस्टर टन तथा 9.00 मीटर के प्रवात तक जलयानों को चलाने की अनुमति होगी।

(छ) अगले छः महीनों में 20,000 सकल रजिस्टर टन तथा 10.0 मीटर के प्रवात तक जलयानों को चलाने की अनुमति होगी।

(ज) अगले छः महीनों के दौरान 25,000 स.र.ट. तथा 10.0 मीटर के प्रवात तक जलयानों को चलाने की अनुमति होगी।

(झ) अगले छः महीनों में 25,000 स.र.ट. तथा किसी भी प्रवात के जलयानों को चलाने की अनुमति होगी।

(ट) उसके बाद किसी टन भार अथवा बिना किसी प्रतिबंध के सभी प्रकार के जलयानों को चलाने की अनुमति होगी।

(ठ) कितने ही टन भार के कारवाहनों को पाइलट तभी चला सकेंगे जब उनमें बिना किसी प्रतिबंध के जलयानों को चलाने की क्षमता होगी।

[फा.सं. पी आर-12016/4/94-पी.ई.-I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल विनियम सा.का.नि. सं. 571

(अ) दिनांक 13-6-1990 के अन्तर्गत प्रकाशित हुए।